वित्त निर्देश 1/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन – नया रायपुर

क्रमांक 6/एल 2013-71-00095/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः- गुमशुदा/लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भः- वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ बी. 6/2/86/नि-2/चार, दिनांक 3.8.1989 एवं दिनांक 10.01.1992.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञाप कमांक सं. 17/1/86/पी.एण्ड पी. डब्ल्यू, दिनांक 29.08.1986 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित ज्ञापनों द्वारा ऐसे शासकीय सेवक जो अचानक लापता हो गये और फिर उनका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं हो पाया, के परिवार के पात्र सदस्यों को देय विभिन्न स्वत्व यथा पेंशन, उपदान, देय वेतन, अवकाश नगदीकरण, सामान्य भविष्य निधि की राशि आदि स्वीकृति के संबंध में निर्देश जारी किये गये है । इन निर्देशों के तहत परिवार पेंशन एवं उपदान की पात्रता शासकीय सेवक के लापता होने संबंधी एफ.आई.आर. दर्ज होने के 1 वर्ष पश्चात् होती है ।

2/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञाप क्रमांक सं. 1 (17) पी.एण्ड पी. डब्ल्यू/86, दिनांक 18.02.1993 द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से ही परिवार पेंशन की पात्रता संबंधी निर्देश जारी किया गया है ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 3.8.1989 के अनुरूप परिवार पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान एफ.आई.आर. दर्ज होने के एक वर्ष पश्चात् किया जाएगा किन्तु इसकी पात्रता एफ.आई.आर. दर्ज होने की तिथि अथवा गुमशुदा/लापता शासकीय सेवक के अवकाश समाप्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से होगी । संदर्भित ज्ञापनों की अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 7/एल 2013-71-00095/वि/नि/चार　　　　　नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(करूणा पाण्डेय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग